

भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

लेडी हूडिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में डिस्पैच राइडर के पद के लिए भर्ती  
नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 05 सं. ज्ञा.के का 13.10.2015  
के अनुपालन में (आरआर)पनास्था-2008/61/14017 एबी लेडी हूडिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता  
कृपलानी अस्पताल में डिस्पैच राइडर के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमोंके मसौदे पर कोई भी आपत्तिक पणधारक णियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुकिएँ/  
भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से दिनों की अवधि के भीतर श्री थेंकोलाल बैटे 30,  
(Thenkhola baite)अनुभाग अधिकारी -एमएच)॥(, कमरा सं . ए405, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,  
निर्माण भवन, भौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली 110108-को लिखित रूप में भेज सकते हैं या  
t.baite12@nic.in पर ई मेल कर सकते हैं।-

श्री. सामंत  
(ग. प्र. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:01123061521

नई दिल्ली  
दिनांक :

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख : 2018

सा.का.नि. . . . . राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, (समूह ग पद) भर्ती नियम, 1990 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, डिस्पैच राईडर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (डिस्पैच राईडर) भर्ती नियम, 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **लागू होना:** ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक में स्तर अथवा वेतनमान -** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर अथवा वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहताएं, आदि -** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरहता :** वह व्यक्ति-  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है; या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह की संविदा की है,  
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :
- परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुरोध है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व कर्मचारियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	बेतन मैट्रिक्स में स्तर या बेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के नामितारों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिस्पैच गार्डर	1 (एक) * (2018)	सामाजिक केन्द्रीय सेवा, सभूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसुन्धानीय	बेतन मैट्रिक्स के स्तर 2 (19,900- 63,200 रुपये)	वेतन लागू नहीं	18 से 25 वर्ष	वैध इंडियन लाइसेन्स के साथ मान्यता प्राप्त बोडे से 12वीं पास

\* कार्यकार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहतारं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	(8)	परिवेशा की भर्ती की पद्धति : भर्ती अवधि, यदि कोई हो।	परिवेशा की भर्ती की पद्धति : भर्ती अवधि, यदि कोई हो।	परिवेशा की भर्ती की पद्धति : भर्ती अवधि, यदि कोई हो।
आयु - नहीं अहता - हो	(9)	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने की दशा में सीधी भर्ती द्वारा	(10)	प्रोन्नति द्वारा भर्ती की दशा में लागू होनी या नहीं
			(11)	प्रोन्नति द्वारा भर्ती की दशा में लागू होनी या नहीं
			(12)	प्रोन्नति द्वारा भर्ती की दशा में लागू होनी या नहीं
			(13)	प्रोन्नति द्वारा भर्ती की दशा में लागू होनी या नहीं

[फा० स० ऐ. 11018/21/2016एमएच ॥]